## गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 No. 25 of 2009)

क्रमांक– 1716 /अका./2011 बिलासपुर, दिनांक– 14/11/2011

प्रति,

**संचालक,**

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,

शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

**पंजीकृत डाक**

**विषयः– बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम की संबद्धता बहाल की सूचना ।**

**संदर्भः– वि.वि.पत्र क्रमांक 1384/अका./2011 बिलासपुर, दिनांक 08.08.2011**

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें । विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.11 में लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश/निर्देशों के बावजूद भी परिनियम 28 के अंतर्गत नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने एवं राज्य शासन द्वारा बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2011 में निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त लिये गये शुल्क की वापसी संबंधी प्रमाण उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण निम्न 10 महाविद्यालयों द्वारा संचालित बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता को तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई थी :–

1. शुभम शिक्षण महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)।
2. कोणार्क शिक्षा महाविद्यालय, खोखसा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।
3. महंत लालदास शिक्षा महाविद्यालय, शिवरीनारायण, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।
4. पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)।
5. श्री सिद्धपीठ महामाया शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) ।
6. ज्ञानोदय शिक्षा महाविद्यालय, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।
7. ज्ञानदीप कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।
8. डी.एल.एस.महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) ।
9. मेडुका शिक्षा महाविद्यालय, मेडुका (पेण्ड्रारोड), बिलासपुर (छ.ग.)।
10. राहौद शिक्षा महाविद्यालय, राहौद, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।

उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा यू.जी.सी.के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से चयनित प्रत्याशियों को सहायक प्राध्यापक के पद पर संलग्न सूची के अनुसार नियमित नियुक्ति आदेश प्रेषित कर नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति तथा छात्र/छात्राओं से ली गई अधिक शुल्क की राशि को वापस किये जाने संबंधित प्रमाण एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.11.2011 में लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त सभी 10 शिक्षा महाविद्यालयों के स्थगित संबद्धता को बहाल किया गया है ।

आदेशानुसार,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

**कुलसचिव (कार्यवाहक)**

पृ.क्रमांक :– 1717 /अका./2011 बिलासपुर, दिनांक – 14/11/2011

**प्रतिलिपि :–**

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, विंग–दो, हंस भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अवर सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, डी.के.एस.भवन,मंत्रालय,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव/निज सहायक को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. संचालक, म.वि.प./अधिष्ठाता,छात्रकल्याण/परीक्षा नियंत्रक/सहा.कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) को सूचनार्थ प्रेषित ।
6. संगणक विज्ञान विभाग की ओर इस आशय के साथ की उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाईट में अपलोड करने की कार्यवाही करें ।

14/11/2011

**उप कुलसचिव (अका.)**

D:/PM5/A-2/584